प्रा0पत्र / 21 / 2025

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

राज.सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी भरतपुर

......प्रार्थी

बनाम

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री ताराचन्द निवासी हनुमान चौक रूपवास जिला भरतपुर

.......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थित :–

1–पैरोकार सरकार रसद

निर्णय **दिनांक 20.05.2026**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए ईसी एक्ट पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 02.12.2025 को प्राप्त सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्देशन में प्रवर्तन स्टॉफ रूपवास स्थित बस स्टैण्ड के पास अशोक कुमार पुत्र श्री ताराचन्द की दुकान पर अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरों के बेचने की सूचना के आधार पर मौके पर पहुँचे। प्रतिष्ठान पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा भराव क्षमता) का पाया गया, जो खरीद–बेचान हेतु प्रतिष्ठान पर रखा हुआ था। इनकी उपस्थिति के सम्बन्ध में प्रतिष्ठान के प्रोपराईटर श्री अशोक कुमार से वैध दस्तावेज मांगने पर उसके द्वारा कोई भी वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। मौके पर पाये गये 14.2 किग्रा भराव क्षमता के 01 घरेलू गैस सिलेण्डर, जप्त किया जाकर रूपवास इण्डेन गैस ऐजेन्सी, रूपवास को सुपुर्दगी में दिया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेन्डरों का अवैध भण्डारण एवं व्यवसायिक दुरूपयोग द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण को जप्त 01 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा भराव क्षमता) को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. को नोटिस धारा 6बी ई0सी0 एक्ट रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। एकतरफा में पैरोकार रसद की बहस सुनी गई।.

पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा भराव क्षमता)

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा0पत्र/21/2025
प्रवर्तन निरीक्षक रसद बनाम अशोक कुमार

पाया गया, जो मुखबिर की सूचनानुसार खरीद–बेचान हेतु प्रतिष्ठान पर रखा हुआ था। इसकी उपस्थिति के सम्बन्ध में प्रतिष्ठान के प्रोपराईटर श्री अशोक कुमार से वैध दस्तावेज मांगने पर अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से भण्डारित सिलेण्डर बाबत् कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेन्डर के अवैध संग्रहण, भण्डारण बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण जप्त 01 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा भराव क्षमता) को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पैरोकार रसद के कथनों पर गौर किया। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान पर जप्त 01 घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण बाबत् कोई भी वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। ना ही न्यायालय में उपस्थि होकर अपना जबाब प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 एवं 7सी का स्पष्ट उल्लंघन किया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अस्तु प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाने योग्य रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मौके पर जप्त 14.2 किग्रा भराव क्षमता का 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि जप्त 01 घरेलू गैस सिलेण्डर सम्बन्धित कम्पनी में जमा करावें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86 (23)खा0ले0/6/89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी/आयल कम्पनी गैस सिलेन्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राजकोष में जमा कराई जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर